समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

# सतेंद्रं जैन के 7 करोड़ रुपये के असमान संपत्ति मामले मे ED ने अटैच की संपत्ति, CBI भी कर रही जांच

Sanket Morankar

Published on 23 Sep 2025

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ असमान संपत्ति (Disproportionate Assets) मामले में लगभग 7 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर दी है। इस कार्रवाई में उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य संबंधित संपत्तियां भी शामिल हैं।

सतेंद्र जैन और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी घोषित आय के अनुपात से अधिक संपत्ति अर्जित की, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध की श्रेणी में आती है। इस मामले की जांच ED कर रही है और उन्होंने यह कदम संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए उठाया है, ताकि उनका इस्तेमाल बचाव या छिपाने के लिए न किया जा सके।

सीबीआई भी इस मामले में सक्रिय है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सत्येंद्र जैन, पूनम जैन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(ई) के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस जांच का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि संपत्ति का स्रोत कानूनी और वैध था या नहीं।

अटैच की गई संपत्ति में अचल संपत्ति, बैंक खाते और अन्य मूल्यवान संपत्तियां शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि संदिग्ध संपत्ति को किसी भी तरह से छिपाया या हस्तांतरित नहीं किया जा सके।

सतेंद्र जैन ने पहले इन आरोपों का खंडन किया था और कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। हालांकि, ED और CBI की जांच से यह स्पष्ट होगा कि उनकी संपत्ति की वैधता कितनी है।

राजनीतिक गलियारों में इस मामले ने हलचल मचा दी है। विपक्षी दल इसे लेकर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और इसे कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति के रूप में देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक निशाना बताया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि असमान संपत्ति के मामले में यह कदम कानून की सख्ती और पारदर्शिता का उदाहरण है। इससे यह संदेश जाता है कि कोई भी राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी को अपने आय और संपत्ति के स्रोत में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी।

सतेंद्र जैन का राजनीतिक करियर लंबे समय से विवादों और आरोप-प्रत्यारोपों के बीच रहा है। उनकी संपत्ति अटैच होने की घटना ने न केवल उनकी राजनीतिक छवि पर प्रभाव डाला है, बल्कि यह भी दिखाया है कि भ्रष्टाचार और संपत्ति विवादों में कानूनी कार्रवाई कितनी प्रभावशाली हो सकती है।

कुल मिलाकर, सत्येंद्र जैन और उनकी पत्नी पूनम जैन के खिलाफ ED और CBI की कार्रवाई भारतीय राजनीति और कानून व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को उजागर करती है। यह मामला यह भी दिखाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई किसी भी राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है और कानून के दायरे में सभी को लाया जा सकता है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.